



टी बोर्ड भारत

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700 001

दिनांक: 09.06.2026

कार्यालय जापन सं 64/2026

कार्यालय में उपस्थिति के विषय में जारी सभी पूर्व कार्यालय आदेशों को निरस्त करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोलकाता स्थित बोर्ड के प्रधान कार्यालय में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और संविदात्मक कर्मचारियों के कार्यालय आने के समय के संबंध में निर्णय सूचित करने का निदेश दिया गया है:-

1	10 जून, 2026 से सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
2	कोलकाता के प्रधान कार्यालय का कार्य समय सुबह 9:45 से शाम 6:15 बजे तक रहेगा, और दोपहर 1:00 से बजे तक आधे घंटे का भोजनावकाश होगा।
3	उपस्थिति के लिए 10:30 बजे तक की छूट है।
4	महीने में अधिकतम 4 बार सुबह 10:31 से 10:45 के बीच देर से आने की अनुमति है।
5	10:45 बजे के बाद आने पर अनुपस्थित माना जाएगा।
6	ग्रेस पीरियड की सीमा समाप्त होने के बाद देर से आने पर आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा।
7	विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना अपराह्न 6:15 बजे से पहले प्रस्थान करने पर आकस्मिक अवकाश या अर्जित अवकाश काटा जाएगा।
8	यदि किसी कर्मचारी की आकस्मिक छुट्टी समाप्त हो गई है, तो अर्जित छुट्टी काट ली जाएगी।

(हस्ताक्षर)

(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)

सचिव प्रभारी

वितरण:-

1	मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष/अधिकारी/कर्मचारीगन (संविदात्मक कर्मचारी सहित) (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
2	उपाध्यक्ष/सचिव/वि.स.एवं मु.ले.अ व निचावि के नि.सह	
3	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
4	टीवीइए	
5	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित

संदर्भ सं.23(1)/स्था/2012/Vol-II